लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/संवि/72/2010/ भोपाल, दिनांक

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि/72/2010/620–621 दिनांक 15.6.10 के क्रमशः सरल क्रमांक 6 पर अंकित श्री लाल बहादुर राजपूत,, (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा. मा.शा. देवरान जिला छतरपुर का जनपद पंचायत छतरपुर एवं जनपद पंचायत बल्देवगढ़, टीकमगढ़ की अनापत्ति के आधार पर संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सरल क्रमांक–6 पर अंकित श्री लाल बहादुर राजपूत, (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.मा.शा. देवरान जिला छतरपुर के संविलियन निकाय कॉलम नं.–6 में जनपद पंचायत टीकमगढ़ के स्थान पर जनपद पंचायत बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा ।

उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/संवि/72/2010/714 भोपाल, दिनांक 23/6/10
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला छतरपुर/टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर/टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर/टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छतरपुर/बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संबंधित – श्री लाल बहादुर राजपूत,, (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.मा.शा. देवरान जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।

23/6/10
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./ए/72/2010/620 भोपाल, दिनांक 15/6/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2008/20–1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम–5 तथा तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मंदाकिनी शर्मा सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा. चिन्नौनी जिला मुरैना	AR3559	23020504602	जनपद पंचायत पहाड़गढ जिला मुरैना जा.क्र.337दि 31.3.10	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र.1384दि 15.6.10 शा.नवीन प्रा.शा. बंजारी बस्ती	23320306901
2	श्री कुशाल सिंह शक्तावत (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. भदाना जिला नीमच	AS7837	23180508801	जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क्र.434 दि 13.5.10	जनपद पंचायत मल्हारगढ जिला मंदसौर जा.क्र.1383दि 19.5.10 शा.प्रा.वि. बही शा.प्रा.वि. बरदल	23190406001
3	कु. रचना शर्मा सहायक अध्यापक शा. ई.जी.एस. नरस्याफल्या जिला बड़वानी	AD7713	23280704303	जनपद पंचायत पानसेमल जिला बड़वानी जा.क्र.9052दि 11.6.10	जनपद पंचायत पुनासा जिला खण्डवा जा.क्र.718दि 04.6.10 शा.प्रा.शा. नर्मदानगर	23290977705
4	श्रीमती बैजन्ती सेन सहायक अध्यापक शा.न.प्रा.क.शा. बांसी जिला दमोह	AI1797	23120505802	जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा जिला दमोह जा.क्र.क्यू. दि 05.6.10	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र.620दि 16.5.10 शा.प्रा.शा. पथरोरा	23390517701
5	श्रीमती सीमा निराला अध्यापक शा.पूर्व मा.वि.टीला जिला टीकमगढ	BD3639	23080301802	जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ जा.क्र.2687दि 25.7.10	नगरपालिक निगम ग्वालियर जिला ग्वालियार जा.क्र.935दि 09.6.10 शा.हाईस्कूल हिन्दी हुजरात	23040566606
6	श्री लाल बहादुर राजपुत (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.मा.शा. देवरान जिला छतरपुर	AF9128	23090100902	जनपद पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र.639दि 09.6.10	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ जा.क्र1403 15.6.10 शा.प्रा.शा. कुडीला	23080110001

संविलियन की शर्ते :–

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।

2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एव उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।

3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें।

4. तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।

5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा [illegible] प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।

6. संविलयन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में [illegible] नीचे मान्य होगी।

7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है [illegible] पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक को अध्यापक संवर्ग में नियोजित होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।

9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण प्रचलित होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में [illegible]

11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एव दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

15.6.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./शि.क./ए/सवि./72/2010/621
भोपाल, दिनांक 15/6/10

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरात ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

15.6.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश